संख्या-12/2022/001-461-60-1-2022

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 25 मई, 2022**

विषय:- उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा-अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-15-उ0प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अन्तर्गत मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-480.00 लाख (रूपये चार करोड़ अस्सी लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-160.00 लाख तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-178.51 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-59.00 लाख, इस प्रकार उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0-658.51 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-219.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का निवर्तन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में समस्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/स-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में उल्लिखित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

(6) उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-49 के राजस्व मद में मुख्य लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(7) यह धनराशि अविलम्ब मुख्यालय/जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष वर्ष 2022-23 के व्यय/आहरण हेतु आवंटित की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक** 2235021021500 उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 59,00,000 (रुपये उनसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक** 2235021021500 उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग **मानक मद** 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 5/2022/बी-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-224/दस-2022/231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-12/2022/001-461-60-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।